छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 04 नवंबर, 2020

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, राज्य शासन एतद् द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24'** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के पश्चात वर्णित पंक्ति **"इन सुविधाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–6 (6.1 से 6.19) में दर्शाया गया है"** में समसंख्यक अधिसूचना के संशोधन दिनांक 22/10/2020 के द्वारा जोड़े गये परिशिष्ट–6.20 से 6.22 के पश्चात परिशिष्ट–6.23 के रूप में, औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (स) एवं परिशिष्ट–7 (द) श्रेणी के विकासखण्डों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष पैकेज का समावेश करने हेतु परिशिष्ट–6.23 निम्नानुसार जोड़ा जाता है, अर्थात :–

परिशिष्ट–"6.23"

वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन हेतु

वनांचल उद्योग पैकेज

औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–7 (स) एवं परिशिष्ट–7 (द) में उल्लेखित विकासखण्डों में स्थापित होने वाले वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये नीति की अवधि में उत्पादन में आने वाले उद्योगों के लिये विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन निम्नांकित अनुसार नियम व शर्तों के अंतर्गत प्राप्त होंगे।

पैकेज हेतु नियम व शर्तें :–

1. प्रस्तावित लघु उद्योगों के द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत न्यूनतम रूपये 50 लाख तथा अधिकतम रूपये 5 करोड़ निवेश किया जाना आवश्यक होगा।

2. इस पैकेज में पात्र लघु उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 6.2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के स्थान पर, उत्पादन में आने के उपरांत संबंधित उद्योग को मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान के रूप में "स" विकासखण्डों में कुल निवेश का 40 प्रतिशत, पांच वर्षों में, रूपये 40 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम तथा "द" विकासखण्डों में कुल निवेश का 50 प्रतिशत, पांच वर्षों में, रूपये 50 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम पात्रतानुसार देय होगा। मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना इस विषय में औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत लागत पूंजी अनुदान हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जायेगी।

3. पात्र लघु उद्योगों को इस पैकेज के बिन्दु क्रमांक–2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के अतिरिक्त औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 6.3 में उल्लेखित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की सुविधा भी नियमानुसार प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी। इस हेतु संबंधित परिशिष्ट 6.3 हेतु उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे।

4. प्रस्तावित उद्योग को विभाग/सीएसआईडीसी के लैण्ड बैंक में उपलब्ध अविकसित भूमि आबंटन के मामले में "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबधंन नियम, 2015" के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार एवं पात्रतानुसार तत्समय प्रचलित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा क्षेत्र हेतु निर्धारित गाईडलाईन दरों पर औद्योगिक नीति के परिशिष्ट–7 (स) विकासखण्ड क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा औद्योगिक नीति के परिशिष्ट–7 (द) 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

5. प्रस्तावित उद्योग को विभाग/सीएसआईडीसी के द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि आबंटन के मामले में "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबधंन नियम, 2015" के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार एवं पात्रतानुसार तत्समय प्रचलित उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दरों में औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छूट प्राप्त होगी।

6. उक्त पैकेज के लिये सामान्य नियम शर्तें एवं परिभाषायें औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित अनुसार मान्य होंगी।

7. उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अतिरिक्त निवेशकों को औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित नियमानुसार एवं पात्रातनुसार आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

8. पैकेज के बिन्दु क्रमांक–2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की मात्रा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के प्रकरणों में 10 प्रतिशत की राशि पात्रता अनुसार अतिरिक्त देय होगी।

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।

यह संशोधन इस संशोधन अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

—हस्ता॰—

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 04 नवंबर, 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विभाग .... मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, उद्योग संचालनालय (छत्तीसगढ़), भू–तल, उद्योग भवन, रायपुर
3 प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम–तल, उद्योग भवन, रायपुर
4 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....(छत्तीसगढ़),
5 नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग